अगर आप को फैडरल प्रवास और शरणार्थी दफ्तर (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) की तरफ से भेजे या हाथ में दिये गऐ फैसले में डिपोरट करने की धमकी (Abschiebungsandrohung) या डिपोरट करने का आदेश (Abschiebungsanordnung) दिया गया है तो कृपया करके नीचे लिखे निरदेश पर धयान दें :-

विजा-कानूंन (AufenthG) अनुसार जुरी सूचनाएं

विजा-कानूंन (AufenthG) की धारा § 60a पहरा 2d अनुसार अनुदेश

अगर आप को कोई बिमारी है जिससे डिपोरट (Abschiebung) **करने** में रुकवाट आ सकती हो तो आप को इस का कोई मैडीकल-स्रटीफिकेट (ärztliche Bescheinigung) दिखा कर सबूत देना पडेगा । आप की जिम्मेदारी बनती है आप यह मैडीकल-स्रटीफिकेट तुरंत आप के सबंधत इमीग्रेशन-अधिकारी (Ausländerbehörde) को पेश करें । इस „तुरंत“ विषेशता का पालन करने के लिये मैडीकल-स्रटीफिकेट उुपर लिखी तारीख निर्णायक होगी । अगर कोई ऐसे मैडीकल-स्रटीफिकेट जारी किये गऐं है जिससे आप के नबालग बच्चे/बच्चों को डिपोरट (Abschiebung) करने में रुकवाट आ सकती हो तो आप को यह सभ भी पेश करने होंगे ।
अगर आप ने यह मैडीकल-स्रटीफिकेट न पेछ किया जा फिर देर से किया तो डिपोरट (Abschiebung) करते समय मैडीकल-स्रटीफिकेट में पता चले रोग-नतीजे उुपर विचार नहीं किया जायेगा । फिर डिपोरट (Abschiebung) करते समय आप की कोई ऐसी दलील कि आप का नबालग बच्चा बिमार है वगैरा नहीं सुनी जायेगी । यह तभ भी लागू होगा आगर आप मैडीकल-स्रटीफिकेट (ärztliche Bescheinigung) तो तुरंत पेश कर देते हैं लेकिन यह मैडीकल-स्रटीफिकेट कानूंनी शरतें पूरी न करता हो ।

अगर आप के सबंधत इमीग्रेशन-अधिकारी (Ausländerbehörde) को मैडीकल-स्रटीफिकेट में बताई गई बिमारी पर छंका हो तो वो इसकी किसी डाकटर या सरकारी डाकटर से जाँच कराने का आदेश दे सकता है । अगर आप ने इस आदेश का वगैर किसी खास वजाह पालन न किया तो सबंधत इमीग्रेशन-अधिकारी (Ausländerbehörde) को डिपोरट (Abschiebung) करते समय बताई गई बिमारी को न मानने का अधिकार होगा ।

विजा-कानूंन (AufenthG) की धारा § 50 पहरा 4 अनुसार अनुदेश

देश छोढने के फर्ज (Ausreisepflicht) कारण विजा-कानूंन (AufenthG) की धारा § 50 पहरा 4 के अनुसार आप की जिम्मेदारी बनती है कि आप हर मकान बदलने के समय और जब भी आप तीन दिन से जयादा अपने सबंधत इमीग्रेशन-अधिकारी (Ausländerbehörde) के ऐरिये से बाहर जाना चाहते हैं पहले अपने सबंधत इमीग्रेशन-अधिकारी (Ausländerbehörde) को बताऐं । अगर आप ने इस फर्ज की उुलंघना की तो आप को डिपोरट करने के लिये हिरासत (Abschiebungshaft) में ले लिया जायेगा (विजा-कानूंन (AufenthG) की धारा § 62 पहरा 3 नंबर 2)

===